न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/209

बलराम आत्मज नैनजी जाति बलाई निवासी ताथेड़ तहसील लाडपुरा कोटा(मृतक) कायम मुकाम रामनाथ आत्मज बलराम जाति बलाई निवासी ताथेड़ हाल मुकाम छावनी रामचन्द्रपुरा पुलिस चौकी के पास छावनी तहसील लाडपुरा कोटा

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री महेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 30.01.2026**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 69/2018 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 91, 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि.....ग्राम मानसगांव तहसील लाडपुरा क्षेत्र की खसरा नम्बर 134 की 8 बीघा आराजी अनुसूचित जाति बलाई जाति के भूमिहीन गरीब व्यक्ति को दिनांक 01.02.1983 को आवंटित की गयी थी। केम्प ताथेड में दिनांक 09.02.1983 को एडवाइजरी कमेटी की मिटिंग दिनांक 09.02. 1983 को हुयी जिसमें राज्य सरकार की और से श्री रामदत्त जी दाधीच साहब तत्कालीन सहायक जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में हुयी जिसमें कमेटी में सदस्य श्री मदन चन्द जी तत्कालीन प्रधान पंचाय समिति लाडपुरा कोटा, श्री रतिरंजन जौशी तत्तकालीन प्रधान पंचायत समिति लाडपुरा, कोटा, श्री धन्ना लाल जी तत्कालीन प्रधान पंचायत समिति लाडपुरा कोटा, श्री बंशी लाल जी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत ताथेड उपस्थित थे। कुल भूमि 152 बीघा 3 बिस्वा आराजीयात सिवायचक भूमि थी जिसकी तन्हा मालिक राज्य सरकार है और उक्त भूमि में से अनुसूचित जाति गरीब व भूमिहीन अति निर्धन व्यक्तियों को उनको आजिविका परिवार के भरण पोषण के लिए दी गयी और सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करके दखल की कार्यवाही की गयी आवंटन किया गया उक्त आवंटन आज भी यथावत है कहीं से भी उक्त आवंटन रदद नहीं किया

गया है। उक्त आराजी मेसे बइल्म सरकार प्रभावशाली स्वर्ण व्यक्तियों ने भुजबल से वादी की उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया और अवेध रूप से अपना नाम रिकार्ड से जुडवाते रहे है जबकि उन्हें अपना नाम दर्ज करवाने का कोई अधिकार नहीं था। वादी के पिता उनके जीवनकाल में एवं उनकी मृत्यु के बाद वादी लगातार माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय तहसीलदार साहब लाडपुरा कोटा से निवेदन करते रहे है कि उक्त आराजी से भूमाफियों की जो राज्य सरकार की भूमि और आवंटियों की भूमि पर अतिक्रमण कब्जा जमाये हुये है और आवंटियों की और से राज्य सरकार को नुकसान कारित कर रहे है कलेक्टर साहब को लिखित में प्रार्थना पत्र कई बार प्रस्तुत किया जहां से सम्पूर्ण रिकार्ड की जांच कर अतिकमियों को बेदखल कर आवंटियों को कब्जा दिलाने के लिए लिखा गया लेकिन उसके बाद निरन्तर भूमिहीन अनुसूचित जाति के व्यक्ति तहसील में चक्कर लगाते रहे है जिसमें कई आवंटियों की मृत्यु होने पर उनके वारिसान प्रार्थना पत्र दे रहे है और निवेदन करते रहे हैं लेकिन उक्त आराजीयात राज्य सरकार ने आज दिन तक भू माफियाओं के गिरोह के सदस्यों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी जब हम उनसे मिले और अतिक्रमियों से कहा कि यह जमीन हमारी है आवंटन आज भी यथावत है तो मारने के लिए दोडे और कहा हमें यहां अधिकारियों का सहयोग है इसलिये हम चाहे जो कर सकते है तुम न तो हमारा नाम पता कर सकते हो न ही हमारा कुछ बिगाड सकते हो। उक्त सम्पूर्ण आराजीयात का रिकार्ड प्रतिवादी के पास कमवार मौजूद है लेकिन वह न तो रिकार्ड देते है और न ही अतिक्रमियों का नाम बताते है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29–2–2016 को भी यह निर्देश जारी किए गये कि खातेदारी अधिकार दिये जावे लेकिन उसके बाद भी प्रतिवादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। राजस्व उच्च न्यायालय के द्वारा भी कई प्रकरणों में यह निर्देश जारी कर रखे हैं कि आवंटित कृषिभूमि पर अपने अधिकारों की घोषणा के लिए सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए। वादी द्वारा उक्त आराजी का प्रकरण कहीं भी लम्बित नहीं है और आवंटित भूमि भी वादी अपने कब्जे में लेकर खाते लगवाकर अतिक्रमियों को बेदखल कराने का अधिकारी है। जिसका आवंटन यथावत है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी की पुराना खसरा नम्बर 134 की 8 बीघा आराजीयात जिसमें अवेध रूप से भिन्न भिन्न समय पर अतिकमियों के अवेध रूप से नाम दर्ज होते रहे है उसे निरस्त फरमाया जाकर वादी को खातेदार धोषित फरमाया जाकर वर्तमान में नाम दर्ज फरमाये जाने एवं राज्य सरकार उक्त अतिकमियों को बेदखल कर सीमांकन कर कब्जा दिलाये जाने की आज्ञा बख्शी जावे। और अभी तक हुये नुकसान आर्थिक व मानसिक व शारीरिक सन्ताप जो भी झेलना पड़ा उसके लिए विशेष हर्जा खर्चा कम्पनसेशन राशि के रूप में दिलाये जाने की आज्ञा बख्शी जावे। प्रतिवादी को यह दिशा निर्देश दिये जाने की आज्ञा बख्शी जावे कि आराजी का सीमांकन कर वादी को कब्जा मौके पर संभलाने की आज्ञा बख्शी जावे। अन्य सहायता जो भी माननीय न्यायालय बादी के पक्ष में उचित समझै वह भी अता फरमायी जावे। प्रतिवादी से सम्पूर्ण रिकोर्ड तलब फरमाये जाने की आज्ञा बख्शी जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2025 को वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने की डिकी पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2025 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नगत निर्णय दिनांक 31.01.2025 को पारित किया गया है। आवंटियो ने एक दूसरे की तलाश की भिन्न भिन्न गावों में निवास करने से विषम परिस्थितियों, बीमारियों, अर्थिक अभाव के कारण तलाश करते रहे कई आवंटियो का देहान्त होने से उनके वारिसो की तलाश करवाकर दिनांक 02.05.2025 को निर्णय एवं डिक्री एवं सम्पूर्ण पत्रावली की नकले लेने का प्रार्थना–पत्र पेश किया। नकल दिनांक 20.05.2025 को प्राप्त होने पर वकील साहब से सम्पर्क कर उक्त अपील पेश कर रहे है। गरीब असहाय अनपढ़ विषम परिस्थितियों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा कोई जानबूझकर गलती नहीं की गई । अतः दिनांक 31.01.2025 से अपीलांट को हुई जानकारी की दिनांक 02.05.2025 से नकल प्राप्त होने की दिनांक 20.05.2025 तक की डिले को कन्डोन कर अपील अवधि मध्य स्वीकार की जावे । अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस पेश की तथा अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कारणों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय एवम डिक्री जेर अपील कानून न्याय एवम तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री पत्रावली संग्रह समुह एवम विधि के प्रावधानो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। आवंटित (अपीलान्ट) वादीगण की और से अपना अपना वाद अन्तर्गत धारा 88 व 89, 91, 183, 209 रा० टी० ए० बाबत घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरुस्ती धारा 136 एल आर एक्ट बेदखली व अन्य न्यायोचित सहायता हेतु अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केम्प ताथेड़ पर दिनांक 09.02.1983 को एडवाईजरी कमेटी द्वारा जो आवंटन किया गया था उन सभी आवंटियों के प्रथक प्रथम दावे कन्सोलिडेट करके निर्णय किया गया है जो 1 लगायत 19 के सारभूत हित निहित होने आवंटित भूमि के आवंटन के सारभूत हित निहित होने से आवंटित भूमि आवन्टन पत्र के अनुसार आराजी प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त आवंटित भूमि खातेदार

गोकुलनाथ पुत्र गोपाललाल ब्राहमण लखारापाडा के नाम थी आदेश सीलिंग 68/76 व तहसील आदेश कमांक 562 सीलिंग 76 दिनांक 29.09.1976 से 183 लगानी 243—97 भूमि सिवाय चकदर्ज करने की स्वीकृति दी गई और उसी आधार पर मु० ताथेड दिनांक 30.03.1977 को मुताबिक आज्ञा तहसील नम्बरी 572 तारीखी 29.09.1976 निम्न नम्बरान गोकुलनाथ जी खातेदारी से खारिज होकर सिवायचक दर्ज किये जावे। ख० न० 113 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा, 125 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, ख० न० 126 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, 127 रकबा 20 बीघा 7 बिस्वा, 129 रकबा 28 बीघा 07 बिस्वा, 132 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा, 133 रकबा 26 बीघा 4 बिस्वा, 139 रकबा 41 बीघा 15 बिस्वा, 147 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, 171 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, 107/377 रकबा 2 बिस्वा किता 12 कुल रकबा 183 बीघा 3 बिस्वा। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा द्वारा जवाब पेश नहीं किया दिनांक 30.11.2021 को जवाब दावा बन्द होगया। फिर अनायास पटवारी मानसगांव द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके आवंटन को स्वीकार किया गया हे कि आवटन 09.02.1983 को किया गया था लेकिन रेस्पो० द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया। यह जवाब दावा पटवार मन्डल मानसगांव द्वारा पेश किया गया है। उसमे कोई तारीख अंकित नहीं है और बिना कार्यवाही एक तरफा मन्सूख करवाये बिना मनमाने तरीके से पेश कर दिया कोई दस्तावेज पेश नहीं है। जबाब दावे के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया ना ही कोई गवाह रेस्पो० द्वारा पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब दावा पटवारी पर आवश्यक्ता से अधिक विश्वास किया जो मोखिक रूप की तरह था जो अन्दाजे के आधार दिया गया, वह भी पटवारी द्वारा । वादीगण/अपीलान्ट ने अपने वाद के समर्थन में जो गवाहान के बयान दिनांक 26.12.2024 और अन्य तारीखो के शपथ पत्र पेश किये उसका अपने निर्णय मे कोई हवाला नहीं दिया गया जब कि उक्त शपथ पत्र गवाह फाईल में संलग्न है। उक्त प्रकरणो मे सभी वादी/अपीलान्ट अत्यन्त गरीब अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति का भूमि हीन व्यक्ति है जिसे आवंटन सरकारी भूमि से किया गया था उस समय भूमि सिवायचक दर्ज थी। उक्त प्रकरण क्योंकि प्रतिवादी/रेस्पो० तत्कालीन एवम बाद मे तहसीलदार साहब आये उनके द्वारा नये नये इन्द्राज अपनी इच्छानुसार अन्य व्यक्तियो को` करते रहे जिसका उन्हे कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय में आर्डर 11 रूल 12 व 14 के अन्तर्गत तहसील के रेकार्ड को तलब करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किये लेकिन तहसील की तरफ से इस संबंध में न तो कोई जवाब आया और नही दस्तावेज पेश करने की कोशिश की गई। दस्तावेजो के लिये अपीलान्ट से कहा कि कोई दस्तावेज हमारे पास नहीं है काफी प्रयास के बाद कुछ नकले प्राप्त हुई जो अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत करदी थी लेकिन उसका हवाला नहीं दिया और दस्तावेज भी एक दूसरी पत्रावली में लगा दिये कई फाइले नहीं मिली। उक्त प्रकरण मे तत्कालीन सहायक जिलाधीश जो एडवाईजरी कमेटी के अध्यक्ष थे और उसी न्यायालय ने आवंटन को सही माना पटवारी हल्का ने जवाब दिया उसमे भी आवंटन को सही माना । उक्त प्रकरण मे पदाधिकारी सुनने वाले वर्तमान सहायक जिलाधीश कोटा आवंटन करने वाले तत्कालीन सहायक कलेक्टर कोटा सम्पूर्ण रिकार्ड में परिवर्तन करने वाले वर्तमान सहायक जिलाधीश रहे जो मनमाने तरीके से रेवेन्यू के अधिकारियो के बयान के लिये गये गये। उक्त आवटन को गैरखातेदारी दर्ज करने का कार्य तहसीलदार लाडपुरा का था जो नही किया गया। साक्ष्य विधि— किसी कार्यवाही किसी पक्षकार की स्वीकृति चाहे वह अभिवचनो मे या मौखिक रूप से हरी सर्वोत्तक साक्ष्य है जिसे आगे अनुसमर्थन की आवश्यक्ता नही है। उक्त प्रकरण में दिनांक

05.01.2006 को प्रकरण स० 53/2000/75 एल. आर. कोटा जिसमे एक आवंटी द्वारा अपील की गई थी उसमे तत्कालीन संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा अपने निर्णय की आखरी लाईन में कहा कि वास्तव में अपीलार्थी निसन्देह एक सदभावी आवंटी है तथा उसका आवंटन भी सभी राजस्व न्यायालयो द्वारा वैध एवम विधि सम्मत ठहराया गया। लेकिन उन्होने सही स्तरो पर अपने अधिकारो की घोषणा नहीं करवाई इसलिये भी आज तक भूमि को राजस्व अभिलेखो मे दर्ज नहीं करवा पाये। आवंटी बिना पढा लिखा गरीब भूमिहीनं अनु० जाति जन जाति का व्यक्ति है जो गरीबी रेखा से भी काफी नीचे है न्याय की तलाश मे भटकते रहा और जब इन्हे कुछ रेकार्ड आवटन की नकले आदि प्राप्त हुई कई आवंटी की मृत्यु को प्राप्त होगये तो उनके कायम मुकामान बन्कर सहायक कलक्टर कोटा के यहा अधिकारो का दावा किया लेकिन निचले स्तर पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट ने इनकी किसी प्रकार की सहायता करना उचित नहीं समझा मृगतृष्णा की लालसा के आज भी इन्हे दर–दर न्याय के लिये भटकना पड रहा है और प्रोपर्टी डिलर भू माफिया अपने अपने हिसाब से कार्यवाहियां कर रेकार्ड को अवैध प्रक्रिया द्वारा दर्ज करवाते रहे आवंटियो को धमकाते रहे कि यदि गांव में आया तो जान से मार देगे। सेटलमेन्ट आप्रेशन–भूमि की किस्म कृषको के अधिकार तथा राजस्व अभिलेख मे प्रविष्टीयां परिवर्तन करने का सेटलमेन्ट विभाग को अधिकार नही है। किसी भी व्यक्ति पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त का उसे अधिकार नही है। सामन्य सेटलमेन्ट आप्रेशनं तक ही शक्तियां सीमित है। उक्त प्रकरण में जब तहसीलदार लाडपुरा से जिरह की गई तो वह किसी भी जिरह का सही जवाब नहीं दे पाये उनके जिरह बयानो की और जिरह, को रेकार्ड में नहीं लिया गया जिरह में उनके द्वारा कहा गया कि आवंटित भूमि का अन्य के खाते में दर्ज करने का हमे अधिकार नहीं था। आवंटन होने पर और आवन्टन रद्ध नही होने पर भी अन्य व्यक्तियो के खातेदारी मे अधिक नहीं होने पर अवैध प्रक्रिया द्वारा दूसरे के खाते मे दर्ज की जा सकती ओर यदि करदी गई तो एक निश्रर्थ ने वह आदेश दिया गया कि प्रार्थी को उस ग्राम या निकट उपलब्द्ध स्थान पर समाज भूमि का आवंटन किया जावे। रिट याचिका स्वीकार की ओर अधि० न्यायालयो के आदेश निरस्त किये। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि (1) आवंटी की आराजी ख०न० 134 रकबा 08 बीघा जो 09.02.1983 को आवंटित की गई थी जो अवैध रूप से दूसरे के खातो मे दर्ज कर दी गई है उसका नाम हटाया जाकर अपीलान्ट का नाम दर्ज फरमाया जाने की आज्ञा बक्शी जावे। (2) रेस्पो० को निर्देशित किया जावे कि उस ग्राम या निकट मे उपलब्ध स्थान पर समान भूमि को आवंटन किया जावे और उसके बाद गैर खातेदारी मे दर्ज करके खातेदारी में दर्ज फरमाई जाने की आज्ञा बख्शी जावे। (3) अधिकार नहीं होने पर अन्य के नाम दर्ज किया गया उसका नुकसान मुआवजा रेस्पो० से 09.02.1983 से दिलवाया जावे। (4) धारा 209 आर० टी० एक्ट के अन्तर्गतं माननीय न्यायालय जो भी अपीलान्ट के हित मे उचित समंझे वह भी अता फरमाई जावे। (5) अधिनस्थ न्यायालय ओर तहसील से सम्पूर्ण रिकार्ड तलब फरमाये जाने की आज्ञा बक्शी जावे जिससे रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट अधिनस्थ अधिकारियो की वास्तविक स्थिति न्याय हित और न्याय निर्णय मे सहायक हो सके।

8. हमने अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारन के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी अपीलांट द्वारा खसरा संख्या 134 रकबा 8 बीघा भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित किए जाने तथा वादग्रस्त आराजी का कब्जा वादी अपीलांट को सुपुर्द किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। वादी अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी आवंटन सहालकार समिति द्वारा दिनांक 09.02.1983 को वादी अपीलांट को आवंटित की गई है, आवंटनशुदा भूमि पर आवंटी वादी अपीलांट को मोके पर दखल दिया जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया है तथा उक्त आवंटन को आज तक निरस्त नहीं किया गया है अतः वादग्रस्त आराजी को वादी अपीलांट स्वयं के खाते दर्ज करवानें का अधिकारी है। अपने कथन के समर्थन में वादी अपीलांट द्वारा केवल कैम्प ताथेड़ में आयोजित एडवाईजरी कमेटी की बैठक दिनांक 09.02.1983 की प्रति पेश की गई है। वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में कोई आवंटन आदेश, आवंटन–पत्र, दखलनामा तथा आवंटन आदेश की पालना में नामान्तरकरण स्वीकृत किए जाने के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा काश्त नहीं होना बताया गया है तथा हस्तगत वाद में वादी अपीलांट को कब्जा सुपुर्द किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। चूंकि वादी अपीलांट स्वयं के द्वारा वादग्रस्त आराजी को उसकी आवंटनशुदा भूमि होने का कथन किया गया है तथा वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा काश्त नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वादी अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया जाना प्रकट होता है। वादग्रस्त आराजी ना तो वादी अपीलांट के खाते दर्ज रही है और ना ही वादी अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में कब्जा काश्त है, अतः ऐसी स्थिति में कब्जे काश्त के अभाव में खातेदारी घोषणा का वाद पोषणीय नहीं है। वादी अपीलांट हस्तगत वाद एवं अपील में अंकित कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद एवं अपील खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2025 में वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय कोटा के प्रकरण संख्या 69/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2025 यथावत रखी जाती है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/1/26

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2025/209

बलराम आत्मज नैनजी जाति बलाई निवासी ताथेड़ तहसील लाडपुरा कोटा(मृतक) कायम मुकाम रामनाथ आत्मज बलराम जाति बलाई निवासी ताथेड़ हाल मुकाम छावनी रामचन्द्रपुरा पुलिस चौकी के पास छावनी तहसील लाडपुरा कोटा

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्ट

प्रकरण संख्या: 69/2018

बलराम आत्मज नैनजी जाति बलाई निवासी ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 69/2018 में न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2025 की अपील न्यायालय राजस्व अपील

प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 30.01.2026 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री महेन्द्र कुमार जैन के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 69/2018 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2025 यथावत रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 30.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

30.1.26

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा